BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1289 of 2024

IN THE MATTER OF:

Sandeep Kumar & Anr. ....**Applicant(s)**

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ....**Respondent(s)**

RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.4, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 18.11.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I, Ankit Singh, aged about 38 years, S/o Mr. Ajit Singh, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Muzaffarnagar (hereinafter referred to as UPPCB), do hereby solemnly affirm and state on oath as under :

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That vide its order dated 18.11.2024 this Hon'ble Tribunal by issuing notice has directed the UPPCB to filed its response regarding the allegation made in the present matter.
3. That in compliance to the above direction it is submitted that the unit was inspected by the officials of the UPPCB on 18.07.2023,

RAHUL SHARMA
NOTARY
Distt. Muzaffarnagar (U.P.)

05 MAR 2025

During inspection, it was observed that the village Dakhodi Jamalpur is located at a distance of about 700 meters in the East direction from the poultry farm. The village Dabheri is located at a distance of about 650 meters in the South direction, in accordance with the siting criteria prescribed by the Central Pollution Control Board (CPCB) for setting up a poultry farm. During inspection, approximately 34,000 live birds were found in the farm. As the unit had more than 25,000 live birds at the time of inspection, hence the violation of the guidelines issued by CPCB for poultry Farm was effective for the unit. The disposal of solid waste generated from the unit was also not found to be effective. The unit was found operational without obtaining the requisite CTO/CTE from UPPCB, in violation the guidelines issued by the CPCB.

2- That on basis of the deficiencies and violations found during inspection, the UPPCB vide its letter dated 12.12.2023 issued a show cause notice against the unit under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

A copy of the show cause notice dated 12.12.2023 is annexed herewith as **Annexure-1**.

3- That the unit was re-inspected on 24.09.2024 in pursuance to the complaint again received against the unit. At the time of inspection, 26000 live birds were found to be present in the unit and the solid waste generated from the birds was not found to be collected scientifically. Further, insecticide spraying was not found operational to prevent flies. The unit is not completely complied with the directions issued by the show cause notice dated 12.12.2023, wherefore the UPPCB vide letter dated 29.10.2024

NOTARY RAHUL SHARMA NOTARY Distt. Muzaffarnagar Reg. No.-12347 Exp. Dt. 4-9-2027 GOVT. OF INDIA

RAHUL SHARMA NOTARY Distt. Muzaffarnagar (U.P.) 05 MAR 2025

issued closure order against the poultry farm.

A copy of the closure order dated 29.10.2024 is annexed herewith as **Annexure-2**.

4- That the UPPCB vide its letter dated 21.11.2024 again directed the Poultry Farm owner to remove the live birds from the poultry farm within 15 days in compliance to the closure order issued.

A copy of the letter dated 21.11.2024 is annexed herewith as **Annexure-3**.

5- That to ensure the compliance of the closure order, the officials of the UPPCB has again inspected the unit on 10.12.2024, and it was observed that the poultry farm had removed 4000 live birds but still, about 22000 live birds were found in the 04 sheds located in the unit.

A copy of the inspection report dated 10.12.2024 is annexed herewith as **Annexure-4**.

6- That during inspection, it is informed by the poultry farm owner that they have increased the size of cages as per the norms. Presently the poultry farm has less than 25,000 live birds. Inspecting team during inspection again instructed the farm owner to submit representation along with the documentary proof for verification of the revised farm capacity.

7- That poultry farm has submitted its representation dated 12.12.2024 before the UPPCB regarding the closure order. It is stated by the poultry farm that as per the Government of India Gazette No. CG-GAL-E01032023-243969 dated 27.09.2023 the space for birds should not be less than 550 square centimeters/bird, whereas before 2023 it was 422 square centimeters/bird. Hence, the

RAHUL SHARMA
NOTARY
Distt. Muzaffarnagar (U.P.)

05 MAR 2025

It is further stated by the poultry farm owner that they increased the sizes of the cages as per the guidelines. Out of 04 sheds, 01 shed was double story. It is also stated by the poultry farm owner that after increasing cages' sizes, the maximum capacity of the said sheds collectively was found to be 23,100 birds. During inspection, 22,360 live birds were found inside the cages of poultry farm. As per the guidelines of poultry farm issued by CPCB, a farm having less than 25,000 birds does not require CTO for operation.

Further, The Poultry farm was previously inspected by UPPCB on 24.09.2024 where more than 25,000 (26000 birds) were present at the poultry farm. As, the unit had a capacity for more than 25000 birds and was found operating without obtaining CTE/CTO from UPPCB, hence, unit was in violation of the guidelines issued by CPCB. With respect to the violation, UPPCB issued closure order under section 31(a) of Air Act, against the unit vide letter dated 29.10.2024.

A copy of the representation dated 12.12.2024 is annexed herewith as **Annexure-5**.

8- That the Chief Veterinary Officer Shamli has also informed vide its letter dated 21.01.2025 that currently 22,360 birds are being reared in the sheds established in the unit. A copy of the letter dated 21.01.2025 is annexed herewith as **Annexure-6**.

Further, As per the information provided by CVO, Shamli, the poultry farm has 05 sheds in total for keeping live birds. Total carrying capacity of individual sheds have been provided by CVO, Shamli, according to which following are the carrying capacities of each shed for keeping birds. Shed No 1 – 5300 birds, Shed No 2-

RAHUL SHARMA
NOTARY
Distt. Muzaffarnagar (U.P.)

05 MAR 2025

NOTARY

5300, shed no 3 – 3600, shed no 4 – 5300, Shed no 5 3600 . Hence, total carrying capacity of poultry farm, including all individual 5 sheds is 23,100 which is less than 25,000. As per the guidelines issued by CPCB for poultry farm, any poultry farm having total capacity of less than 25,000 birds does not require to take CTE/CTO from Pollution Control Board. NOTARY

9- That to verify the representation submitted by the Poultry Farm and the facts as mentioned in the representation the officials of the UPPCB has inspected the poultry farm on 20.02.2025. At the time of inspection, about 22000 live birds were found to be reared in all the four sheds. Solid waste disposal was found to be done properly. Arrangements for spraying insecticides to control flies were found operational. In light of the above facts and verification inspection of UPPCB, unit is found complying with the guidelines issued by the CPCB. However, the poultry farm being operated at a capacity of less than 25,000 birds. It is stated that the size and shape of the poultry. farm have a capacity of not more than 25,000 birds under ordinary circumstances. On 20.02.2025, the concerned officials from the office of the Regional Officer, UPPCB, inspected the unit and found it to be closed. NOTARY

10- That in compliance to the directions issued by UPPCB, the unit submitted it's reply on 12.12.2024 stating that as per the new guidelines of January 2022, the unit increased the area of the cages from 422 ^{cm2} to 550 ^{cm2}. Hence, the carrying capacity of the shed was cut down to less than 25,000 birds. With respect to the reply of the unit, UPPCB conducted verification inspection on 20.02.2025 and found that as per the reply of the unit dated 12.12.2024, the

NOTARY

RAHUL SHARMA
NOTARY
Distt. Muzaffarnagar (U.P.)

05 MAR 2025

NOTARY capacity of the poultry farm has been reduced to 23,100 birds. Hence, UPPCB has issued environmental compensation of Rs 4,00,000/- against the poultry farm for a period of 80 days (From the date of violation on 24.09.2024 to 12.12.2024) inspection dated 20.02.2025 carried out by UPPCB for verification of the reply dated 12.12.2024 submitted by the unit stating that the capacity of the poultry farm has been reduced to less than 25,000 Birds. NOTARY

11- That in view of the earlier violations by the unit and for non-compliance of the guidelines issued to the Poultry Farms as well non-compliance of the Closure Order, has imposed the Environmental Compensation of Rs. 4,00,000/- against the unit for the period of 80 days with revocation of closure order vide letter no. H25190/C-3/Vayu-593/2025 dated 05.03.2025. NOTARY

A copy of the letter dated 05.03.2025 is annexed herewith as **Annexure-7**. NOTARY

12. Further, UPPCB has again conducted the latest inspection on 05.03.2025 and have observed that approx. 22,000 birds are present in the poultry farm. Copy of inspection report is annexed herewith as **Annexure-8**. NOTARY

Regarding, utilization of environmental compensation which have been imposed to the Poultry Farm by UPPCB, following options can be looked upon, if Hon'ble Court permits for the same: NOTARY

i) Plantation of dense trees all around the boundary of the Poultry Farm. NOTARY

ii) Even when at present, the unit does not require to obtain CTE/CTO from UPPCB, However, operation of the farm NOTARY

NOTARY
RAHUL SHARMA
NOTARY
Distt. Muzaffarnagar
Reg. No.-13331
Exp. Dt.
4-6-2025

RAHUL SHARMA
NOTARY
Distt. Muzaffarnagar (U.P.)

05 MAR 2025

NOTARY

will generate solid waste, which can be effectively managed by construction of sufficient capacity of compost pits or construction of small landfill dedicated only for the disposal of solid waste which shall be generated by the Poultry Farm during operation.

NOTARY

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Muzaffarnagar on this the .05th.... day of March, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY

DEPONENT

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY GOVT. OF INDIA RAHUL SHARMA NOTARY Distt. Muzaffarnagar

Sworn before me today above.......... the deponent is/are identified by Shri ....

I have satisfied myself by examining the deponent who understood the contents of the affidavit which have been read out and explained by me to the deponent fee charged Rs..............................

NOTARY, DISTRICT MUZAFFARNAGAR

Identified by

RAHUL SHARMA
NOTARY
Distt. Muzaffarnagar (U.P.)

05 MAR 2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD Annexure-1

संख्या: H03894 / सी–3 / ... दिनांक: 12/12/2023

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म,
ग्राम- दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक- थानाभवन,
जनपद- शामली।

यह कि उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली जोकि मुर्गी पालन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, मुज़फ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 18.07.2023 एवं दिनांक 06.11.2023 को किया गया। इकाई प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त पोल्ट्री फार्म की क्षमता लगभग 36 हजार पक्षियों की है। उक्त पोल्ट्री फार्म में 04 शैड स्थापित पाये गये, जिसमें लगभग 34 हजार मुर्गियों का पालन वर्तमान में किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उक्त पोल्ट्री फार्म में केज के नीचे ठोस अपशिष्ट के रूप में जनित बीट का काफी मात्रा में एकत्रण किया जाता पाया गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में दुर्गन्ध व मक्खियों का होना स्वाभाविक है। पोल्ट्री फार्म परिसर में मक्खियां उड़ते हुए पायी गयी। मक्खियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक का छिड़काव होते हुए नहीं पाया गया। पोल्ट्री फार्म में मृत पक्षियों के निस्तारण की कोई व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। इकाई में दुर्गन्ध की रोकथाम हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित नहीं पाया गया, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं मक्खियों का होना स्वाभाविक है। पोल्ट्री फार्म स्थापना एवं संचालन हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति भी प्राप्त नहीं किया गया है। निरीक्षण में पाया गया कि पोल्ट्री फार्म के पूरब दिशा में ग्राम–दखोड़ी लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा दक्षिण दिशा में ग्राम–दखोड़ी की आबादी से लगभग 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। इकाई का उक्त कृत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधिनों का उल्लंघन है।

यह कि मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म हेतु जारी इन्वायरनमेंट गाईडलाईन का पूर्ण रूप से अनुपालन न किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को विरूद्व सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:–

1. यह कि क्यों न मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की समस्त उत्पादन/संचालन प्रकिया बन्द कर दी जाए।
2. यह कि क्यों न मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को मिलने वाली विद्युत एव जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रेषित करें। उद्योग द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरूद्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, शामली।
2 पुलिस अधीक्षक, शामली ।
3 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शामली ।
4 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली।
5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट, डिवीजन–1, 2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

..2/–

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com

(2)

6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

1111-24 Annexure-2

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: 1192224 / सी–3 / वायु-593/मुजफ्फ/2024 दिनांक 29/10/2024

सेवा में, पंजीकृत

मै0 एस0के0 पॉल्ट्री फार्म,
ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन,
जनपद–शामली।(8000004908)

यह कि उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोडी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली जोकि मुर्गी पालन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोडी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र दिनांक 12.12.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिसके संबंध में इकाई द्वारा अपना प्रतिउत्तर दिनांक 29.01.2024 क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर में प्राप्त कराया गया। जिसका संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 24.09.2024 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म में पॉच शैड स्थापित पाये गये। ईकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि चार शैड में लेयर्स फार्मिंग की जाती है तथा एक शैड में चूजों के लिये बनाया गया है। लेयर फार्मिंग शैडों की क्षमता लगभग 36 हजार पक्षियों की बतायी गयी। निरीक्षण के समय उक्त लेयर फार्म में छोटे–बडे 26000 पक्षी पाये गये। निरीक्षण के समय उक्त पॉल्ट्री फार्म में केज के नीचे ठोस अपशिष्ट के रूप में जनित बीट का एकत्रण नही पाया गया परन्तु लेयर फार्म के चारों तरफ बीट काफी मात्रा मे एकत्रित एव फैली हुई पायी गयी, जिससे आसपास के क्षेत्र में दुर्गन्ध व मक्खियों की समस्या होना स्वाभावित है। निरीक्षण के समय पोल्ट्री फार्म के परिसर में मक्खियां उड़ते हुए पायी गयी। मक्खियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक का छिड़काव होते हुए नहीं पाया गया। पोल्ट्री फार्म में मृत मुर्कियों के निस्तारण के संबंध में उपस्थिति प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि मृत मुर्गियों को गढडे में दबा दिया जाता है। निरीक्षण के समय इकाई परसर में मक्खियों की रोकथाम हेतु छिडकाव किये जाने हेतु इन्सेक्टीसाइड्स/पेस्टीसाइड्स की कोई लॉगबुक प्रस्तुत नहीं की गयी। निरीक्षण के समय इकाई की स्थापना एवं संचालन राज्य बोर्ड से अनुमति प्राप्त किये बिना अवैध रूप से संचालित किया जाता पाया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि पोल्ट्री फार्म के पूरब दिशा में ग्राम दखोडी जमालपुर, लगभग 700 मी0 की दूरी पर स्थित है, दक्षिण दिशा मे ग्राम दखोडी की आबादी से लगभग 650 मी0 तथा पूरब–दक्षिण दिशा में नदी 200 मी0 की दूरी पर स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म स्थापना एवं संचालन के संबंध में गाइडलाइन एवं इकाई द्वारा अनुपालन की स्थिति निम्नवत है:

S.No.	CPCB Environmental Gude Line for Poultry Farm (Siting Criteria)	Current status of Poultry Farm
1	500 m from residential zone in order to avoid nuisance caused due to odour & flies.	Compliance
2	100 m from major water course like River, Lakes, canals and drinking water source like well, summer frorage tanks, in order to avoid contamination due to leakages/spillages, if any.	Compliance
3	100 m from national Highway (NH) and 50 m from State Highway (SH) in order to avoid nuisance caused due to odour & flies.	Compliance
4	10-15 m from rural roads/internal roads/village pagdandis.	Compliance
5	The Poultry sheds should not be located within 10 m from farm boundary for cross ventilation and odour dispersion.	Not Compliance
6	Poultry farm handling birds above 25,000 at single location will have to obtain consnt to establish (CTE) and consent for operation (CTO) under the Water Act, 1974 and Air Act 1981 from State Pollution Control Board/Pollution/Pollution Control Committee.	Not Compliance
7	The Poultry Farms are categorized under "Green Category, therefore validity of consent will be 15 yrs.	Consent Not Applied

उक्त पोल्ट्री फार्म केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन की शर्तो का उल्लंघन करते हुए, राज्य बोर्ड से जल एवं वायु सहमति प्राप्त किये बिना ही संचालित किया जा रहा है। जिससे इकाई का उक्त कृत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित के प्राविधानों का उल्लंघन है। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 25.09.2024 द्वारा उद्योग के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.12.2023 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई–मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com

अतएव जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली के विरूद्व सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्र सं0 एच 03894/सी–3/वायु–593/मु0नगर/2023 दिनांक 12.12.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते है:–

1. यह कि मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को निर्देशित किया जाता है कि इस बन्दी आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर जीवित पक्षियों को निकालना सुनिश्चित करें।
2. यह कि मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली के उत्पादन/संचालन कार्य को 07 दिन उपरान्त बन्द कर दे।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को 07 दिन उपरान्त बन्द कर दे।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2 पुलिस अधीक्षक, शामली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शामली को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करे।

4 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की जल आपूर्ति को विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।

5 मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

6 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

7 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कि कृपया उद्योग मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को उक्त बन्दी आदेश की प्रति प्राप्त कराते हुए जिला प्रशासन के सहयोग से जीवित पक्षियों को तत्काल उक्त परिसर से बाहर निकलवाकर बन्दी आदेश सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2604300

Annexure – 3

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० 1025/एस०के० पॉल्ट्री फार्म/शामली/2024
Ref. No.

दिनांक 21.11.2024
Dated

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 एस0के0 पॉल्ट्री फार्म,
ग्राम–दखौडी जमालपुर, ब्लाक थानाभवन,
जनपद शामली। (मो0 नं0 8000004908)

विषय– आपके पॉल्ट्री/लेयर फार्म के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच19224/सी–3/वायु–593/मु0नगर/2024 दिनांक 29.10.2024 के द्वारा बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके पॉल्ट्री/लेयर फार्म के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच19224/सी–3/वायु–593/मु0नगर/2024 दिनांक 29.10.2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की यथासंशोधित धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश पारित किये गये है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि बन्दी आदेश सुनिश्चित कराये जाने हेतु आपके पॉल्ट्री/लेयर फार्म में जीवित पक्षियों को 15 दिवस के अन्दर नियमानुसार पॉल्ट्री फार्म से सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरित करते हुए राज्य बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2024 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

(अंकित सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-4

निरीक्षण आख्या

बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या = H 19224 / C-3 / वायु 593 / मु०नगर / 2024 / दिनांक - 29.10.24 द्वारा इकाई मै० एस०के० पॉल्ट्री फार्म ग्राम - दभेड़ी जमालपुर ब्लॉक - थानाभवन जनपद - शामली के विरुद्ध बन्दी आदेश निर्गत हुए है उक्त के क्रम मे आज दिनांक - 10/12/24 को अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा इकाई का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप मे श्री साहिल राणा उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय इकाई मे मुर्गियो के पालन हेतु 04 शैड स्थापित है जिसमें मुर्गियो की संख्या लगभग - 22000 पायी गयी इकाई मे जीवित मुर्गियों के होने के कारण बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नही कराया जा सका। इकाई प्रतिनिधि को मौके पर निर्देशित किया गया कि तत्काल बन्दी आदेश का अनुपालन करते हुए जीवित मुर्गियो को सुरक्षित स्थल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

(हस्ताक्षर) 10/12/24
दिवाकर देव गहलौत
जे० आर० एफ०
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मु० नगर

(हस्ताक्षर) 10/12/24
राजा गुप्ता
अवर अभियन्ता
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मु० नगर

Mob. : 80000-04908
98130-48000

SK POULTRY FARM

DAKHODI (JAMALPUR), POST: JALALABAD, DISTRICT: SHAMLI, PIN CODE : 247772

Annexure-5

Ref. No.................... Dated. 12/12/2024

सेवा में,

श्रीमान मुख्य पर्यावरण अधिकारी महोदय

वृत्त–3, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ।

विषयः– मैसर्स एस0के0 पोल्ट्री फार्म, ग्राम दखोडी जमालपुर, विकास खण्ड थानाभवन जनपद–शामली (उ0प्र0) के विरूद्ध उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 29–10–2024 के सापेक्ष प्रत्यावेदन–

महोदय,

विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा संदर्भ– एच19224/सी–3/वायु–5963/मु0नगर 2024 दिनांक 29–10–2024 और संदर्भ संख्या 1025/एस0के0 पोल्ट्री फार्म/शामली/2024 दिनांक 21–11–2024 में फार्म बन्द करने के आदेश दिए गये जिसके सम्बन्ध में निम्न निवेदन करना है–

1. बन्दी आदेश के क्रम संख्या–1 पर स्पष्ट उल्लेख है कि आवासीय क्षेत्र से 500 मीटर से दूरी पर फार्म स्थित है। अतः स्पष्ट है कि मेरे द्वारा बोर्ड के इस नियम का पालन किया गया है।
2. इसी प्रकार क्रमांक सं0 2, 3 व 4 पर उल्लेखित प्राविधानों का भी मेरे द्वारा पालन किया गया है। जिसका बोर्ड के आदेश में उल्लेख है।
3. क्रमांक सं0 5 पर उल्लेखित है कि "Poultry Shed should not be located within 10 mt. from Farm boundary for cross ventilation and odour dispersion" इसमें मेरे द्वारा वेन्टिलेशन की सुविधा पूरी अच्छी तरीके से की गयी है।
4. बोर्ड के आदेश के क्रमांक 6 व 7 में कहा गया है कि सी0टी0ओ0 और सी0टी0ई0 नही ली गयी है, के सम्बन्ध में कहना है कि मेरे फार्म पर पांच शैड बने हुए है। शेड नं0–1 की लम्बाई 150 फुट और चौड़ाई 44 फुट है, जिसकी क्षमता 5300 पक्षियों की है, इसमें मात्र मेरे द्वारा 5114 मुर्गी रखी हुई है और 7 फुट ऊँचा प्लेटफार्म है जिसमें पिंजरे लगे हुए है। शेड नं0 2 की लम्बाई 150 फुट और चौड़ाई 44 फुट है इसकी क्षमता भी 5300 पक्षियों की है, इसमें मात्र मेरे द्वारा 5139 मुर्गी रखी हुई है। शेड नं0 3 की लम्बाई 120 फुट और चौड़ाई 35 फुट है इसकी क्षमता भी 3600 पक्षियों की है, इसमें मात्र मेरे द्वारा 3505 मुर्गी रखी हुई है तथा शेड नं0 4 की लम्बाई 150 फुट और चौड़ाई 44 फुट है, इसकी क्षमता भी 5300 पक्षियों की है, इसमें मात्र मेरे द्वारा 5104 मुर्गी रखी हुई

Mob. : 80000-04908
98130-48000

SK POULTRY FARM

DAKHODI (JAMALPUR), POST: JALALABAD, DISTRICT: SHAMLI, PIN CODE : 247772

Ref. No.................... Dated........................

है तथा शेड नं0 5 की लम्बाई 120 फुट और चौड़ाई 35 फुट है, जिसकी क्षमता 3600 पक्षियों की है, इसमें मात्र मेरे द्वारा 3498 मुर्गी रखी हुई है।

5. मेरे फार्म की क्षमता 23100 मुर्गी रखने की है, जिसमें मेरे द्वारा 22360 मुर्गी पाले जा रहे है, जोकि आपकी गाइडलाईन 25000 संख्या से कम है। जिसमें सी0टी0ओ0 की आवश्यकता नही है और मैनें अपने फर्म पर पेड–पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाए हुए हैं

साथ ही आपके अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत सरकार के. राजपत्र संख्या–CG-GAL-E01032023-243969 दिनांक 27–09–2023 जो पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (अण्डे देने वाली मुर्गी से सम्बन्धित है) उसके स्थान प्रबन्धक हेतु पक्षी के लिए स्थान 550 वर्ग सेंटीमीटर से कम नही होना चाहिए। जबकि पूर्व में 2023 से पहले 422 वर्ग सेन्टीमीटर स्थान पर उपलब्धता थी और फार्म में निर्धारित नये मानकों के अनुसार है। पिंजरों की व्यवस्था की गयी है जिसमें 22360 मुर्गी है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि मेरे बन्दी आदेश को निरस्त करने की कृपा करें, अगर भविष्य में मै अपने फार्म उक्त में कोई विस्तारीकरण किया जाता है तो विस्तारीकरण किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुजफ्फरनगर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही संचालन करूंगा।

For SK POULTRY FARM

प्रार्थी संजीव कुमार
12/12/2024 PROP.

संजीव कुमार
(प्रबन्धक एस0के0 पोल्ट्री फार्म)
स्थित ग्राम दखोडी जमालपुर
परगना–थानाभवन
जनपद शामली।

Annexure - 6

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मु0नगर, उ0प्र0।

पत्रांक 1552 /कु0वि0नी0–22/निरीक्षण/2024–25 दिनांक 21.01.2025

विषयः मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, दखौडी जमालपुर, थानाभवन, शामली की निरीक्षण आख्या का प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 17–1–2025 को मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म, दखौडी जमालपुर, थानाभवन, शामली का निरीक्षण पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर, शामली से कराया गया, पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर द्वारा उक्त लेयर फार्म का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या निम्नवत् उपलब्ध कराई गई है।

निरीक्षण के समय मै0 एस0के0 पोल्ट्री फार्म में शेड नम्बर 01 प्रथम तल पर पक्षी क्षमता 5300 के सापेक्ष 5114, शेड नम्बर 02 द्वितीय तल की पक्षी क्षमता 5300 के सापेक्ष 5139, शेड नम्बर 03 की पक्षी क्षमता 3600 के सापेक्ष 3505, शेड नम्बर 04 पक्षी क्षमता 5300 के सापेक्ष 5104 एवं शेड नम्बर 05 की पक्षी क्षमता 3600 के सापेक्ष 3498 कुल 05 शेड में 22360 पक्षी पाले जा रहे है जोकि भारत सरकार के राजपत्र संख्या CG-GAL-E01032023-243969 दिनांक 27.02.2023 (पक्षी के लिए स्थान 550 वर्ग से0मी0) के अनुरूप है, सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 चन्द्रभानु कश्यप),
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H25190 /सी–3/वायु 593/2025, दिनांकः 5/3/2025

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स एस0के0 पॉल्ट्री मर्म, फार्म
ग्राम–दखोडी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन,
जनपद–शामली। 8000004908

विषयः–वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2024 को सशर्त निस्तारित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 19224/सी–3/वायु–593/मु0नगर/2024, दिनांक 29.10.2024, जिसके द्वारा उद्योग के विरूद्व बन्दी आदेश जारी किया गया है, का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उद्योग द्वारा जारी बन्दी आदेश के क्रम में उद्योग के प्रत्यावेदन तथा क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रेषित निरीक्षण आख्या एवं संस्तुति दिनांक 14.02.2025 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के निरीक्षण दिनांक 29.04.2024 से 12.12.2024 तक कुल 80 दिवसो हेतु रू0 5000/–प्रतिदिन की दर से कुल रू0 4,00,000/–(रू0 चार लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। उद्योग को जारी बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2024 को निम्नलिखित शर्तों के साथ निस्तारित किया जाता है :–

1 उद्योग द्वारा पोल्ट्री फार्म के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाईन का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2 मुर्गी पालन से जनित बीट का निस्तारण कम्पोस्टिंग प्रकिया द्वारा किया जाए।
3 मुर्गी पालन के दौरान मृत होने वाले बर्ड का निस्तारण **Burial Method** द्वारा किया जाए।
4 मुर्गी पालन से जनित मक्खियों एवं कीटो की रोकथाम हेतु समय सारणी बनाते हुए, उक्त के अनुसार कीटनाशक का छिडकाव किया जाए।
5 सहमति श्रेणी में आच्छादित होने पर बोर्ड से अनिवार्य रूप से सहमति प्राप्त करके ही उद्योग का संचालन किया जाए।
6 मुर्गी पालन परिसर के चारो तरफ यथासम्भव वृक्षारोपण किया जाए।
7 उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8 उद्योग द्वारा पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम–1986 के वैधानिक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9 उद्योग को बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 4,00,000/–(रू0 चार लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि तत्काल निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   Payment Gateway- https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
   Nature of Pollution- AIR Pollution
   EC imposed in compliance- UPPCB Order
10 उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा मे दिनांक 29.10.2024 को जारी बन्दी आदेश पुनः स्वतः प्रभावी हो जाएगी।
11 उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन आख्या समयबद्व रूप से बोर्ड को प्रेषित की जाए।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त–3

(2)

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, शामली।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, शामली।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, शामली।
5. अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त–3

Annexure-8

इकाई मै0 एस0के0 पॉल्ट्री फार्म, ग्राम–दखौडी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक इकाई मै0 एस0के0 पॉल्ट्री फार्म, ग्राम–दखौडी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट सी नं0–97/2025 मै0 एस.के. पॉल्ट्री फार्म एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं 03 अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 के अनुपालन में आपके आदेशानुसार इकाई का निरीक्षण दिनांक 05.03.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि के रूप में श्री संजीव कुमार इकाई स्वामी उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार इकाई मै0 एस0के0 पॉल्ट्री फार्म, ग्राम–दखौडी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक–एच19224/सी–3/वायु–593/मु0नगर/2024 दिनांक 29.10.2024 द्वारा बीट का निस्तारण एवं जल/वायु सहमति प्राप्त न होने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम की यथासंशोधित धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत है।
2. निरीक्षण के समय इकाई में कुल चार शैड स्थापित है जिनमें से एक शैड डबल स्टोरी का है। निरीक्षण के समय शैड नं0–1 की क्षमता 5300 जिसमें जीवित पक्षी लगभग 5081 मुर्गी, शैड नं0–2 की क्षमता 5300 पक्षियों की है जिसमें 5110 मुर्गी, शैड नं0–3 की क्षमता 3600 जिसमें 3493 मुर्गी, शैड नं0–4 की क्षमता 5300 जिसमें जीवित 5095 मुर्गी है, शैड नं0–5 की क्षमता 3600 की है जिसमें 3483 मुर्गी पायी गयी। उक्त पांचों शैडो की कुल क्षमता 23100 मुर्गी पालन करने की है वर्तमान में निरीक्षण के समय कुल 22000 मुर्गियों का पालन किया जाता पाया गया।
3. निरीक्षण के समय उपस्थित इकाई प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में मुर्गियों का पालन किये जाने के लिए 450 वर्गसेमी प्रति पक्षी के हिसाब से स्थान प्रदान करना था। भारत सरकार के राजपत्र सं0–CG-GAL-E01032023-243969 दिनांक 27.09.2023 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रति पक्षी 550 वर्गसेमी प्रति पक्षी को स्थान प्रदान करना है, मैनें अपने शैड को नियमानुसार प्रति पक्षी 550 वर्गसेमी के हिसाब से व्यवस्थित करने पर हमारी इकाई में स्थापित पांचो शैडो की कुल क्षमता 23100 मुर्गी पालन की हो गयी है।
4. उपरोक्त इकाई में स्थापित शैडो की क्षमता के सम्बन्ध में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी शामली द्वारा अपना लिखित पत्र दिनांक 21.01.2025 को कार्यालय में प्रेषित किया गया, जिसमें वर्णित किया गया है कि इकाई में स्थापित सभी शैडो की कुल क्षमता 23100 है तथा वर्तमान में 22262 मुर्गियों का पालन किया जा रहा है, जिस सम्बन्ध में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी शामली के दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि उक्त इकाई में स्थापित सभी शैडो की कुल क्षमता 23100 है।
5. निरीक्षण के समय उक्त पॉल्ट्री फार्म में ठोस अपशिष्ट के रूप में जनित बीट का समुचित निस्तारण किया जाता पाया गया।
6. निरीक्षण के समय पॉल्ट्री फार्म के परिसर में मक्खियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक का छिडकाव होते हुए पाया गया।
7. पॉल्ट्री फार्म में मृत मुर्गियों के निस्तारण हेतु नियमानुसार पिट की व्यवस्था पायी गयी।
8. इकाई में दुर्गन्ध की रोकथाम हेतु समुचित वृक्षारोपण किया गया है।
9. निरीक्षण में पाया गया कि पॉल्ट्री फार्म के पूरब दिशा में ग्राम दखौडी जमालपुर लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा दक्षिण दिशा में ग्राम दभेडी की आबादी से लगभग 650 मीटर की दूरी पर स्थित है। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है–

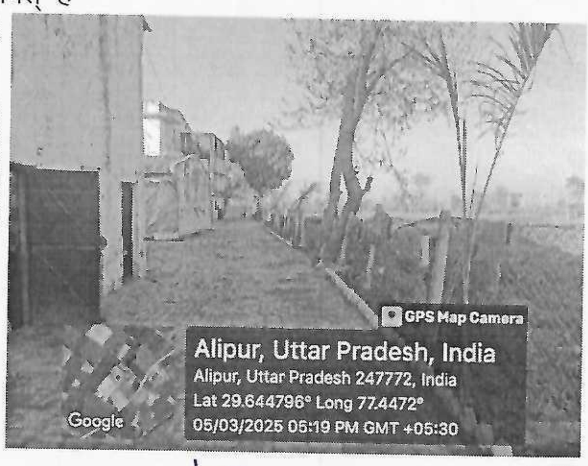

क्रमशः....2....

JE

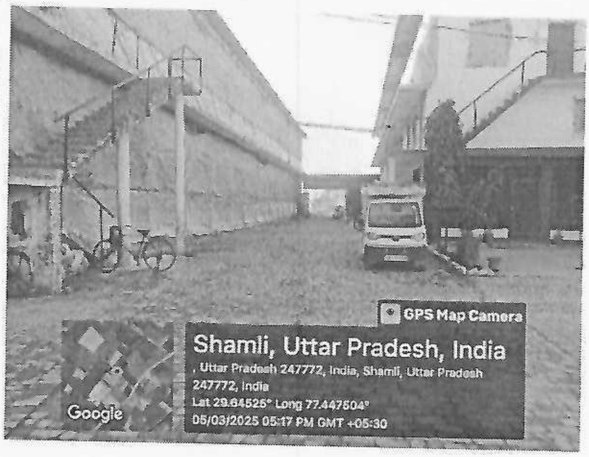

10. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोल्ट्री फार्म स्थापना एवं संचालन के संबन्ध में गाइडलाइन एवं इकाई द्वारा अनुपालन की स्थिति निम्नवत है:–

Sl. No	CPCB Environmental Guide Line for Poultry Farm (Siting Criteria)	Current status of Poultry Farm
1	500 m from residential zone in order to avoid nuisance caused due to odour & flies.	Compliace
2	100 m form major water course like River, Lakes, canals and drinking water source like wells, summer trorage tanks, in order to avoid contamination due to leakages/ spillages, if any.	Compliace
3	100m from national Highway (NH) and 50m form State Highway (SH)in order to avoid nuisance caused due to odour & flies.	Compliace
4	10-15 m from rural roads/internal roads/village pagdandis.	Compliace
5	The Poultry sheds should not be located within 10 m from farm boundary for cross ventilation and odour dispersion	Compliace
6	Poultry farm handling birds above 25,000 at single location will have to obtain consent to establish (CTE) and consent for operate (CTO) under the Water Act, 1974 and Air Act 1981 form State Pollution Control Board/Pollution Control Committee.	Farm capacity less than 25000 (Total birds 22000)

11. इकाई के विरूद्ध निर्गत बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2024 को कार्यालय के पत्र दिनांक 27.02.2025 के द्वारा पूर्व निरीक्षण दिनांक 24.09.2024 से इकाई द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2024 तक कुल उल्लंघनकारी 80 दिवसों हेतु रू0 4,00,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश निक्षेप किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी थी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच25190/सी–3/वायु–593/2025 दिनांक 05.03.2025 के द्वारा इकाई के विरूद्ध रू0 4,00,000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित सशर्त बन्दी आदेश को निक्षेपित कर दिया गया है।

उपरोक्त अद्यतन निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(दिवाकर देव गहलौत)
जे0आर0एफ0

(राजा गुप्ता)
अवर अभियन्ता

सहा0पर्या0अभि0/क्षेत्रीय अधिकारी